न्यायालय :– अपर जिला न्यायाधीश क्रम–01 आबूरोड, जिला–सिरोही (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:	**कुलदीप सूत्रकार, R.J.S.** **(जिला न्यायाधीश संवर्ग)**
दीवानी मूल प्रकरण सँख्या	:	06/2022
सी.आई.एस. सँख्या	:	06/2022

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादी**
अग्रवाल संघ ट्रस्ट		ओमप्रकाश व अन्य

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.</u>

उपस्थिति :–

01– श्री अविनाश शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी सँख्या 1,3,5,8 से 11 की ओर से ।

02– श्री लालचन्द अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता, वादी की ओर से ।

आदेश

दिनाँक :– 29.10.2025

01– इस आदेश के माध्यम से प्रतिवादी सँख्या 1,3,5,8 से 11 की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है ।

02– प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा वाद में प्रतिवादी सँख्या 12 के आदेश दिनाँक 25.06.2010 को चुनौती देते हुए दावा पेश किया गया है एवं उसी आदेश को चुनौती देते हुए प्रतिवादी सँख्या 1 से 7 द्वारा दीवानी मूल वाद सँख्या 08/2025 ओमप्रकाश बनाम अग्रवाल संघ तथा एक अन्य वाद सँख्या 58/2010 प्रतिवादी सँख्या 8 से 9 द्वारा अनवान महेशचन्द्र बनाम अग्रवाल संघ के नाम से पेश किया गया है जो दोनों वाद श्रीमान् सिविल जज आबूरोड के न्यायालय में लम्बित है जिसमें वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान सारतः इस वाद के समान है जिससे वादी द्वारा पेश यह वाद परिपोषणीय नहीं है । प्रतिवादी सँख्या 12 द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनाँक 25.06.2010 के अनुसार "श्री गोपाल जी का मन्दिर आबूरोड सार्वजनिक ट्रस्ट" को सृजित किया गया है जिसमें वादी सदस्य नहीं है अपितु श्री अग्रवाल संघ ट्रस्ट आबूरोड की वर्ष 2010 की कार्यकारिणी द्वारा नामित पाँच सदस्य के साथ–साथ श्री जगन्नाथ जी के वारिसान में से एक सदस्य तथा एक सदस्य अग्रवाल समाज के अलावा सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश पारित किये गये थे । निर्णय के एक माह में कार्यकारिणी का गठन किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया है जिसके कारण अब उक्त श्री गोपाल जी मंदिर आबूरोड सार्वजनिक ट्रस्ट के सृजन संबंधी निर्णय की पालना उक्त निर्णय की दिनाँक से 12 वर्षों के बाद भी आज दिन तक नहीं की गई है इस कारण उक्त न्यास का गठन करने वाला निर्णय स्वयंमेव निष्प्रभावी हो चुका है जिसकी अब कोई विधिमान्यता नहीं रही है । वादी उक्त "श्री गोपाल जी मंदिर आबूरोड सार्वजनिक ट्रस्ट" का सदस्य या ट्रस्टी नहीं है तथा वाद को पेश करने की वादी को किसी प्रकार की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है इस कारण वादी को वर्तमान वाद पेश करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है । प्रतिवादी सँख्या 1 से 11 विवादित सम्पत्ति के स्वामी है तथा वादी द्वारा दावे में यह स्वीकार किया गया है कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा प्रकरण सँख्या 9/1989 में पारित आदेश दिनाँक 25.06.2010 शून्य व निष्प्रभावी है । वादी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार उक्त श्री गोपाल जी मंदिर के संबंध में किसी न्यास का गठन आज दिन तक नहीं हुआ है तो उस अवस्था में

वादी को इस वाद के प्रस्तुतिकरण के अधिकार का सृजन भी नहीं हुआ है जिससे वादी द्वारा पेश वाद परिपोषणीय नहीं है । वादी स्वयं द्वारा दायर अपील सँख्या 75/2010 का निस्तारण दिनाँक 24.10.2011 को हो चुका है । वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कभी किसी प्रकार की कोई संविदा अस्तित्व में नहीं रही है ऐसे में संविदा भंग के चालू रहने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । धारा 22 परिसीमा अधिनियम के प्रावधान वर्तमान वाद पर लागू नहीं होते हैं । वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सहायक आयुक्त द्वारा पारित निर्णय दिनाँक 25.06.2010 से छह माह की अवधि में प्रस्तुत किया जा सकता था परन्तु वादी द्वारा उक्त समयावधि के दौरान उक्त आदेश के संदर्भ में कोई चाराजोही अथवा कार्यवाही नहीं की है जिस कारण वाद परिपोषणीय नहीं होकर स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है । प्रकरण में प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा दायर वाद सँख्या 14/2012 तथा महेशचन्द द्वारा दायर वाद सँख्या 18/2010 में वादी ने अपने जवाबदावे में उक्त प्रकृति का कोई उजर नहीं लिया है तथा वर्तमान दावे के अनुरूप अनुतोष हेतु कोई काउण्टर क्लेम भी दोनों दावों में पेश नहीं किया है एवं वादी स्वयं द्वारा दायर वाद सँख्या 110/2019 में भी वादी ने वर्तमान वाद में वांछित अनुतोष की कोई माँग नहीं की है । वादी को यदि वर्तमान वाद के समान किसी अनुतोष की आवश्यकता थी तो वह वाद सँख्या 14/2012 व 58/2010 के जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम के रूप में ले सकता था एवं वाद सँख्या 110/2019 में उक्त अनुतोष हेतु वादी ने जानबूझकर कोई याचना नहीं की है । इस प्रकार वादी को यदि वर्तमान वाद में वांछित अनुतोष से संबंधित वाद लाने का कोई अधिकार था भी तो उसे वादी स्वयं द्वारा लोप किये जाने अथवा साशय त्याग दिये जाने के कारण वादी का वर्तमान वाद आदेश 2 नियम 2(2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार परिपोषणीय नहीं है । वादी को वाद प्रस्तुत करने का कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है । वादी द्वारा पेश वर्तमान वाद में अन्तर्निहित प्रश्न का निस्तारण राजस्थान लोक न्यास अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत विहित प्राधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है एवं इस सम्बन्ध में श्रीमान् न्यायालय को किसी प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है । वर्तमान वाद में वादी द्वारा वांछित अनुतोष के अनुरूप वाद का मूल्यांकन 3 करोड रूपये से अधिक का होता है जिस राशि पर वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन किया जाना आज्ञापक है तथा इस आधार पर भी वादी का वाद काबिल खारिज है । वादी द्वारा वाद में वादी ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टीगण के नाम अंकित नहीं किये गये हैं एवं न ही उक्त न्यासीगण को वाद में पक्षकार बनाया गया है इस कारण वादी का वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के डिफेक्ट से ग्रस्त होने के कारण परिपोषणीय नहीं है । वाद के प्रथम दृष्टया पठन से वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध वर्तमान वाद प्रस्तुतिकरण का कोई वाद हेतुक उत्पन्न होना परिलक्षित नहीं होता है अतः उपरोक्त आधारों पर वादी का वाद मय हर्जे–खर्चे खारिज किया जावे ।

03– उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब वादी की ओर से इस आशय का पेश किया गया कि वादी द्वारा वाद में प्रतिवादी सँख्या 12 के सम्पूर्ण आदेश को चुनौती नहीं देकर पृष्ठ सँख्या 7 पर पुजारी जगन्नाथ के एक वारिस एवं एक सदस्य अग्रवाल समाज के अलावा आबूरोड का सनातन धर्म को मारने वाले व्यक्ति को न्यासी बनाये जाने के आदेश बाबत् किया गया है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को होने से वाद परिपोषणीय है । राजस्थान लोक न्यास अधिनियम की धारा 18 की जाँच में वादी की ओर से 13 प्रलेख प्रस्तुत किये गये जिनका उल्लेख आदेश दिनाँक 25.06.2010 में पृष्ठ सँख्या 4 पर प्रतिवादी सँख्या 12 ने किया है । बाद विचारण प्रतिवादी सँख्या 12 ने आदेश के पृष्ठ सँख्या 7 पर लेखबद्ध किया कि श्री जगन्नाथ विवादित मंदिर के केवल मात्र पुजारी थे जिनके वारिसान सेवा–पूजा कर रहे हैं । मंदिर मोदी अग्रवाल इत्यादि के सहयोग से निर्माण करवाया गया । इस प्रकार विवादित सम्पत्ति को अग्रवाल समाज की सम्पत्ति मानकर लोक न्यास की प्रविष्टि किये जाने के आदेश पारित किये गये और श्री गोपाल जी भगवान का मंदिर आबूरोड सार्वजनिक ट्रस्ट घोषित कर सार्वजनिक प्रन्यास के रजिस्टर के क्रम सँख्या 3/2010 सिरोही दिनाँक 25.06.2010 को वादी अध्यक्ष के नाम दर्ज किया जा चुका है जिसके विरूद्ध

प्रतिवादी सँख्या 1,2 व 3 के पिता बनवारीलाल एवं प्रतिवादी सँख्या 4 से 7 ने अपील सँख्या 61/2010 प्रस्तुत की जिसे आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा दिनाँक 24.10.2011 को खारिज कर दिया गया । प्रतिवादी सँख्या 12 द्वारा दो बाहर के सदस्यों की नियुक्ति का आदेश प्रारम्भ से शून्य है जिसकी पुष्टि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सँख्या 4662/2009 फैसला दिनाँक 29.08.2012 भंवरलाल कालानी बनाम सहायक आयुक्त देवस्थान से प्रकट है क्योंकि पुजारी कभी न्यासी नहीं हो सकता । न्यास की संपत्ति के विपरीत स्वामित्व प्रकट करने वाला व्यक्ति न्यास का सदस्य नहीं हो सकता है । प्रतिवादी सँख्या 1 लगायत 11 की ओर से न्यास का सदस्य बनाये जाने का निवेदन नहीं किया गया है वादी की ओर से दायर अपील सँख्या 75/2010 में आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा निर्णय दिनाँक 24.10.2011 में विवादित प्रश्न को तय नहीं करते हुए औपचारिक रूप से अपील खारिज कर दी गई । इस प्रकार मूल आदेश व अपीलीय आदेश दोनों प्रारम्भ से ही शून्य एवं बिना अधिकारिता के होने से वादी को निरन्तरता में वादकारण प्रतिवादी सँख्या 12 लगायत 15 के विरूद्ध प्राप्त हो रहा है । वादी को मौजूदा वाद हेतु धारा 22 अवधि अधिनियम के अन्तर्गत वाद कारण लोक न्यास की संपत्ति से बेदखली करवाने हेतु प्राप्त है जो विधि द्वारा वर्जित नहीं है और ना ही म्याद बाहर है । म्याद का बिन्दु विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जो विवाद्यकों की विरचना होने के पश्चात् साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णीत किया जा सकता है । वादी ने प्रतिवादी ओमप्रकाश द्वारा दायर वाद सँख्या 14/2012 व महेशचन्द्र द्वारा दायर वाद सँख्या 18/2010 में जवाबदावे में उजर एतराज लिये हैं जिनका निस्तारण साक्ष्य के उपरान्त ही निर्णीत होना है तथा हस्तगत वाद की विषयवस्तु, वादकारण, अनुतोष आदि अलग–अलग होने से आदेश 2 नियम 2(2) सी.पी.सी. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान् न्यायालय को है । पुजारी की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी वाद नहीं लड सकते हैं । वाद का मूल्यांकन, म्याद का प्रश्न, वादकारण एवं क्षेत्राधिकार विधि एवं तथ्य के मिश्रित प्रश्न होकर उनका निस्तारण विवाद्यकों की विरचना होने के पश्चात् दस्तावेजात व साक्ष्य के आधार पर निर्णित किया जा सकता है तथा अन्त में प्रतिवादीगण का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

04– अधिवक्ता वादी द्वारा निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये :–

1)– 2015 DNJ (SC) 242 P.V. Guru Rajk Reddy Rep. By GPA Laxmi Narayan Reddy & Anr Vs P. Neeradha Reddy & Ors. Etc.

2)– 2018 (SUPPL.) CIVIL COURT CASES 768 (RAJASTHAN) Gulli & Anr. Vs Ratni Devi & Ors.

3)– 2010(2) CIVIL COURT CASES 217 (RAJASTHAN) Abdul Fazal Vs M/s. S.J. Marble Mines & Ors.

4)– 2019(2) CIVIL COURT CASES 610 (RAJASTHAN) Santosh Vs Satyanaraya Sharma

उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता वादी द्वारा व्यक्त किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आवेदन को निस्तारित करते समय प्रतिवादी के जवाबदावे में अंकित अभिकथनों को नहीं देखा जाना चाहिये बल्कि वादपत्र में किये गये अभिवचनों को सम्पूर्ण रूप से देखा जाकर यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिये कि क्या इससे वाद हेतुक उत्पन्न होता है अथवा नहीं या वाद किसी विधि से बाधित है ।

इसी प्रकार से अधिवक्ता वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **2016(4) DNJ (Raj.) 1732 Gurpreet Singh & Anr. Vs Surenrajeet Kaur** तथा **2016(3) DNJ**

(Raj.) 1253 Shyam Sunder Vs Naseeb Kaur & Ors प्रस्तुत करते हुए व्यक्त किया कि मियाद के सम्बन्ध में बिन्दु विवाद्यक विरचित करने के पश्चात् एवं साक्ष्य अभिलेखन के उपरान्त ही तय किया जा सकता है । इसी प्रकार से न्यायिक दृष्टान्त **2008(3) DNJ (Raj.) 1238 Secretary, Ramdev Trust Committee Vs Mangu Das & Ors** वाले मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि मन्दिर के पैतृक पुजारी के रूप में अपने अधिकारों का दावा करते हुए घोषणा तथा शाश्वत व्यादेश का वाद दीवानी न्यायालय में दायर करना विधि द्वारा वर्जित नहीं है ।

अधिवक्ता वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **1996 DNJ (Raj.) 681 Bajrangdas & Ors Vs Vishva Karma Jangid Panchayat Through Its President Shri Ramchandra Jangid & Ors** पेश किया जिसके पैरा सँख्या 11 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> 11– For the aforesaid reasons, we are of the opinion that the words a "Civil Court" used in Sec. 22 of The Act, do not mean "District Court" alone and mean any "Civil Court" including "the District Court"

इसी प्रकार वादी की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **2017(1) DNJ (Raj.) 505 Shree Hanuti Hanuman Ji Mandir Trust Vs Shri Hanuti Hanuman Sevak Samiti Bavari Koshlya Das & Ors.** पेश किया जिसमें अभिनिर्धारित किया गया कि वादी द्वारा मन्दिर की सम्पत्ति एवं अतिक्रमण से सुरक्षा करने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जिसे निर्धारित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है । साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2013(2) DNJ (Raj.) 706 पेश कर व्यक्त किया कि वादी द्वारा अपने वाद में वादहेतुक दर्शाया है तथा वाद करने का अधिकार स्पष्ट रूप से वाद में दर्शित होने से आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है । इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **2019(3) CJ (Civ.)(SC) 711 Madhav Prasad Aggarwal & Anr. Vs Axis Bank Ltd. & Anr.** पेश किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

> "We do not deem it necessary to elaborate on all other arguments as we are inclined to accept the objection of the appellant(s) that the relief of rejection of plaint in exercise of powers under Order 7 Rule 11(d) of CPC cannot be pursued only in respect of one of the defendant(s). In other words, the plaint has to be rejected as a whole or not at all, in exercise of power Order 7 Rule 11 (d) of CPC. Indeed, the learned Single Judge rejected this objection raised by the appellant(s) by relying on the decision of the Division Bench of the same High Court. However, we find that the decision of this Court in the case of Sejal Glass Limited (supra) is directly on the point. In that case, an application was filed by the defendant(s) under Order 7 Rule 11(d) of CPC stating that the plaint disclosed no cause of action. The civil court held that the plaint is to be bifurcated as it did not disclose any cause of action against the director's 14 defendant(s) 2 to 4 therein. On that basis, the High Court had opined that the suit can continue against defendant No.1 company alone. The question considered by this

Court was whether such a course is open to the civil court in exercise of powers under Order 7 Rule 11(d) of CPC. The Court answered the said question in the negative by adverting to several decisions on the point which had consistently held that the plaint can either be rejected as a whole or not at all. The Court held that it is not permissible to reject plaint qua any particular portion of a plaint including against some of the defendant(s)and continue the same against the others. In no uncertain terms the Court has held that if the plaint survives against certain defendant(s) and/or properties, Order 7 Rule 11(d) of CPC will have no application at all, and the suit as a whole must then proceed to trial.

इसी प्रकार अधिवक्ता वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **2013(1) WLN 259 (Raj.) Bhanwar Lal Kalani Vs Asstt. Commissioner, Devasthan and Ors.** पेश किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सहायक आयुक्त द्वारा सदस्यता के इच्छुक व्यक्तियों को ट्रस्ट की सदस्यता प्रदान नहीं कर सकता है बल्कि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार ही सदस्यता प्रदान की जा सकती है जिस सम्बन्ध में जिला न्यायालय के आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायसंगत ठहराया गया है ।

05– विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **(2006) 1 DNJ 171 शरद कुमार बनाम रघुवीरसिंह** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"Adverting to the instant case, it is not in dispute that the temples in question are registered public trust. Under Section 73 of the Act, as seen above, no civil Court has jurisdiction to decide or deal with any question which is by or under the Act to be decided or dealt with by any officer or authority under the Act or in respect of which the decision or order of such officer or authority has been made final and conclusive. I have no manner of doubt that the suit has been instituted, in effect and substance, challenging the entry in the Register of the Public Trusts which cannot be adjudicated upon by civil suit save in the manner and within the period prescribed under Section 22 of the Act, It is relevant to mention here that Section 44 of The Act excludes the applicability of Sections 92 and 93 of the CPC and, therefore, the suit could not be entertained as representative suit under Section 92 of the Code.

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त **(2020) AIR (SC) 3310 दहीबेन बनाम अरविन्दभाई कल्याणजी भन्साली के कायममुकाम व अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि :–

"The Underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that

further judicial time is not wasted."

"The Limation Act, 1963 prescribes a time–limit for the institution of all suits, appeals, and applications, Section 2(j) defines the expression "period of limitation" to mean the period of limitation prescribed in the Schedule for suits, appeals or applications. Section 3 lays down that every suit institued after the prescribed period, shall be dismissed even though limitation may not have been set up as a defence."

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त **(2019) AIR (SC) 1430 राघवेन्द्र शरण सिंह बनाम रामप्रसन्ना सिंह के कायममुकाम** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"In the case of Ram Singh (supra), this Court has observed and held that when the suit is barred by any law, plaintiff cannot be allowed to circumvent that provision by means of clever drafting so as to avoid mention of those circumstances, by which the suit is barred by law of limitation."

Therefore, considering the averments in the plaint and the bundle of facts stated in the plaint, we are of the opinion that by clever drafting the plaintiff has tried to bring the suit within the period of limitation which, otherwise, is barred by law of limitation.

अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त **2008(4) CCC 133 Temple of Thakur Shri Mathuradass ji Vs Shri Kanhaiyalal** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"If the suit is abuse of process of the court and cannot be dismissed under Order 7 Rule 11 CPC then the court is not helpless and can accordingly invoke the powers u/s 151 CPC. Frivolous litigations are required to be nipped in the bud at the earliest possible stage otherwise no relief to the aggrieved party because of the reason that sole object of the frivolous litigation is to drag adversary in the litigation till it is dismissed consuming several years in trial.

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त **(2021) AIR (SC) 4594 राजेन्द्र बाजोरिया व अन्य बनाम हेमन्त कुमार जालान व अन्य** प्रस्तुत किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

"whether the plaint discloses a cause of action, by scrutinizing the averments in the plaint, read in conjunction with the documents relied upon or whether the suit is barred by any law – Underlying object of Order VII Rule 11 of CPC is that when a plaint does not disclose a cause of action, the court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings. It has been held that in such a case, it will be necessary to put an end to the sham litigation so that further judicial time is not wasted."

06– सुना गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया ।

07– देखा जावे तो वादी द्वारा यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते प्राप्ति कब्जा श्री गोपाल जी मंदिर परिसर मय आवासीय परिसर पुजारी, स्थाई व्यादेश, हर्जाना एवं शून्य व अवैध घोषित करने आदेश प्रतिवादी सँख्या 12 दिनाँकित 25.06.2010 जिसके पृष्ठ सँख्या 7 पर पुजारी जगन्नाथ के एक वारिस एवं एक सदस्य अग्रवाल समाज के अलावा आबूरोड का सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को न्यासी बनाये जाने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में प्रतिवादी सँख्या 1, 3, 5, 8 से 11 की ओर से जवाबदावा पत्रावली पर प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रकरण में पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यकों की विरचना की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत किये जाने के उपरान्त प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त प्रार्थनापत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थनापत्र में वाद का मूल्यांकन गलत कर कम न्यायशुल्क अदा किये जाने, वाद वादी राजस्थान लोक प्रन्यास अधिनियम के प्रावधानों से बाधित होने के कारण वाद की सुनवाई की अधिकारिता सिविल न्यायालय को नहीं होने तथा वाद मियाद बाहर होने के सम्बन्ध में जो आपत्तियाँ ली गई है उसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विवाद्यक सँख्या सात, आठ व नौ की विरचना की गई है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने नवीनतम न्यायिक दृष्टान्त करमसिह बनाम अमरजीतसिंह व अन्य 2025 INSC 1238 में यह अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में न्यायालय को वादपत्र में वर्णित अभिकथन को ही देखा जाना होता है तथा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जहाँ एक वाद में एक–साथ कई अनुतोष की माँग की गई हो तथा उनमें से कोई अनुतोष परिसीमा अवधि के अन्तर्गत हो तो ऐसी स्थिति में भी वाद को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । वादी द्वारा हस्तगत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा ली गई आपत्ति के सम्बन्ध में विवाद्यक विरचित किये जा चुके हैं । प्रकरण लक्षित प्रकरणों में से एक है जिस हेतु उभय पक्ष की शीघ्रातिशीघ्र साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित रहेगा । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसरण में प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना उभय पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् एवं मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् ही गुणावगुण पर प्रकरण का न्यायोचित निस्तारण किया जाना उचित प्रकट होता है । विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा ली गई आपत्तियों को विवाद्यक विरचित किये जाकर उभय पक्षकारान की साक्ष्य के पश्चात् निस्तारित किया जाना उचित प्रकट होने से इस प्रक्रम पर प्रतिवादी सँख्या एक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है ।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर जिला न्यायाधीश क्रम–01
आबूरोड, जिला–सिरोही

08– आदेश आज दिनाँक 29.10.2025 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया ।

(कुलदीप सूत्रकार)
अपर जिला न्यायाधीश क्रम–01
आबूरोड, जिला–सिरोही

प्रमाणपत्र :– प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है ।

(शिवकरण बिश्नोई, आशुलिपिक प्रथम)

नोट :– यह प्रतिलिपि प्रार्थी अधिवक्ता की जानकारी के लिये हैं । सत्यापित प्रतिलिपि उनके द्वारा न्यायालय से प्राप्त की जा सकेगी ।